

फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. म. ड. ल.

हलका सडा

पुत्र श्री पीरा खां जाति भोजिया

निवासी- सडा

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. ७३ / वर्ष २०२१

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज़	हुकम और तारीख तामिल की
31-3-2021	पटवारी हलका <u>सडा</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा <u>सडा</u> के खसरा नंबर <u>526</u> <u>408</u> रकबा <u>0.0283</u> हे. किस्म भूमि <u>वा. रे.</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>16-4-2021</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
16-4-2021	<p style="text-align: center;"><b>तहसीलदार सिणधरी</b> <b>जिला-बाड़मेर</b></p> पत्रावली पेश हुई। नोटिफ आउट ग्राहिल प्राप्त। तारीख पेशी बढ़ाकर पत्रावली दिनांक 13-5-2021 को पेश है।	
13-5-2021	<p style="text-align: center;"><b>तहसीलदार सिणधरी</b> <b>जिला-बाड़मेर</b></p> पत्रावली पेश हुई। नोटिफ तामिल होकर प्राप्त नहीं हुए। पत्रावली दिनांक 28-5-21 को पेश है।	


28-5-2021

पत्रावली पेश हुई। मौखिक शिर्षक होकर प्राप्त नहीं हुए। तारीख पेशी बटाई जाकर पत्रावली दिनांक 16-6-2021 को पेश है।

  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

16-6-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपाक्षित। गैर सामल को जवाब हेतु भ्रवकर डिप्टा जाकर पत्रावली दिनांक 29-6-2021 को पेश है।

  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

29-6-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपाक्षित। गैर सामल को जवाब हेतु भ्रवकर डिप्टा जाके के बखुड भी कोई जवाब या कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किने, अतः गैर सामल को अतिक्रम मानते हुए पत्रावली फसल सुगार है निर्वाह भ्रवकर के लिखा जाकर शिर्षक पत्रावली है। निर्वाह सुके न्यायालय के सुनाया जात्र। पत्रावली फसल सुगार हेकरट डाखिल दफतर है।

  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

वच 2021-22 के राजस्व लेखा पंक्ति नं. 4 के अंतर्गत म. 21... पर क्र.सं 01... पर जुमाना/फसल विलामी राजि रू. ...01... की मांग दर्ज की गई।

M. D. J.  
तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील सिणधरी

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर-0) /2021

संवत्:-2078

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

महबूब वल्ल पीरा खाँ काँम

पटवारी हल्का ...सडा.....

मोयत्या कुसर सा. सडा

निर्णय

दिनांक:-29/6/2021

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी ...सडा..... ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2078..... में राजस्व ग्राम ...सडा..... के खसरा नम्बर 526 में कुल रकबा 0.0566 हे. बीघा-किस्म भूमि का कब्जा में से रकबा 0.0283 हे. बीघा-भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से वेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध वार्षिक भू- राजस्व लगान 0.02..... का राउण्ड अपेक रूपका 50 गुणा अर्थात् 50/- रूपये (अक्षरे पन्चास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से वेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।



तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर